266

# मध्यप्रदेश विधान सभा

अगस्त-सितम्बर, 1996 सत्र

# दैनिक कार्य-सूची

**गुरूवार, दिनांक २२ अगस्त, १९९६ (श्रावण ३१, १९१८)**

**समय १०.३० बजे दिन.**

## १. प्रश्नोत्तर.

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

## २. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

**श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल,** संसदीय कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, १९७२ (क्रमांक ७ सन् १९७३) की धारा ९ की उपधारा (३) की अपेक्षानुसार संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक १३८५-फा-एक (२) ५७-अड़तालीस-९० (सं.का.) दिनांक ३ जुलाई, १९९६ पटल पर रखेंगे.

## ३. नियम १३८ (१) के अधीन ध्यान आकर्षण.

(१) **श्री प्रेमसिंह पटेल,** सदस्य, खरगोन जिले के पाटी विकास खण्ड में पंचायत भवन एवं शाला भवन निर्माण में आर्थिक अनियमितताएं किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(२) **सर्वश्री लक्ष्मीकांत शर्मा, बच्चन नायक, ईश्वरदास रोहाणी,** सदस्य, भोपाल के जिला न्यायालय में खूनी संघर्ष में तीन व्यक्तियों की हुई मौत की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(३) **श्री देवव्रत सिंह, कुंवर विजय शाह,** सदस्य, राजनांदगांव जिला मलेरिया अधिकारी द्वारा नियुक्तियों में अनियमितताएं किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(४) **सर्वश्री कमल पटेल, लक्ष्मीकांत शर्मा, ईश्वरदास रोहाणी,** सदस्य, भोपाल नगर निगम परिषद की बैठक के दौरान युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा मारपीट एवं तोड़फोड़ किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

## ४. याचिकाओं की प्रस्तुति.

(१) **श्री पूरनमल शर्मा,** सदस्य, खण्डवा नगर के विस्थापित परिवारों को व्यवसायिक भूमि का स्थायी पट्टा दिलाये जाने,

(२) **श्री बच्चन नायक,** सदस्य, जबलपुर जिले के-

(क) ग्राम बिलायत कला के हरिजन आदिवासी किसानों को काबिज भूमि का पट्टा दिलाये जाने, तथा

(ख) ग्राम घंघरी खुर्द के आदिवासियों को आवासीय भूमि का पट्टा दिलाये जाने,

-२

(३) **डॉ. गोविन्द सिंह,** सदस्य, भिण्ड जिले के-

(क) ग्राम मारपुरा में स्ट्रीट लाईट लगाये जाने,
(ख) लहार बस स्टैण्ड पर पुलिस चौकी कायम किये जाने,
(ग) ग्राम शेखूपुरा में विद्युतीकरण कराये जाने,
(घ) सब्जी मंडी,लहार के पास से पोस्टमार्टम गृह हटाये जाने,
(ड.) लहार के श्री मंगलादेवी मन्दिर के पास से आबकारी कार्यालय हटाये जाने,तथा
(च) ग्राम सलमपुरा में विद्युतीकरण कराये जाने,

(४) **श्री रामलखन सिंह (त्यौंथर),** सदस्य, रीवा जिले के-

(क) गुढ़-मनगवां मार्ग का डामरीकरण कराये जाने, तथा
(ख) ग्राम ब्यौहरा में पशु औषधालय खोले जाने, एवं

(५) **श्री रामदयाल अहिरवार,** सदस्य, छतरपुर जिले के खला एवं कुटनी नदी पर पुल बनाये जाने,

**के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.**

## ५. राज्यमंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास का वक्तव्य.

**श्री माधव सिंह ध्रुव,** राज्यमंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास-

(१) दिनांक १४ दिसम्बर, १९९४ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ६१ (क्रमांक-२४७५), तथा
(२) दिनांक १५ दिसम्बर, १९९५ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ५४ (क्रमांक-२८१८),

के उत्तरों में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

निर्धारित समय

## ६. वर्ष १९९६-९७ की प्रथम अनुपूरक मांगों पर मतदान.

**श्री अजय मुशरान,** वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

३ घण्टे

"दिनांक ३१ मार्च, १९९७ को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या-१,२,३,६,७,८,९,११,१२,१३,१४,१५,१६,१७,१९,२०,२१,२३,२४,२५,२६,२७,२८,२९,३०,३२,३३,३९,४१,४२,४३,४४,४५,४७,४८,४९,५१,५५,५६,६०,६४,६५,६६,६७,६८,७२,७५,८१,एवं ८२ के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर दो सौ चौंतीस करोड़, सत्तासी लाख, सोलह हजार, छः सौ रूपये की अनुपूरक राशि दी जाय."

## ७. शासकीय विधि विषयक कार्य.

(१) **श्री अजय मुशरान,** वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-३) विधेयक, १९९६ (क्रमांक १७ सन् १९९६) का पुरःस्थापन⊗ करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

-३

⊗अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्.

267



निर्धारित समय ३ घन्टे (शेष ४५ मिनिट)

(२) **श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल,** संसदीय कार्य मंत्री, द्वारा किये गये प्रस्ताव पर कि मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय विधेयक, १९९६ (क्रमांक ११ सन् १९९६) पर विचार किया जाय- चर्चा का पुनर्ग्रहण.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

**भोपाल.**
दिनांक २१ अगस्त, १९९६.

**अशोक चतुर्वेदी**
**सचिव,**
**मध्यप्रदेश विधान सभा.**